राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

निर्णय

जगननाथ सिंह बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर व अन्य

एकलपीठ सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3958/1999
अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान

निर्णय दिनांक 23.11.2006

उपस्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री संजय महर्षि)
श्रीमती प्रिंयका गोयल)अधिवक्ता प्रार्थी
श्री पवन पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

.....

न्यायालय द्वारा:-

सब-डिवीजनल आफिसर, कोटा (एस.डी.ओ.) ने निर्णय दिनांक 29.02.1996 द्वारा वादी रेस्पोडेंट के वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 (जिसे आगे चलकर अधिनियम कहा जावेगा) डिक्री कर दिया और प्रार्थी प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह विवादित भूमि का कब्जा वादी रेस्पोडेंट को सौंप दे। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रार्थी प्रतिवादी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (आर.ए.ए.) ने

निर्णय दिनांक 11.12.1996 द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी जगन्नाथ की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करके प्रकरण को एस.डी.ओ. के न्यायालय में प्रतिप्रेषित करते हुए निम्न आदेश दिया-

> "अत: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.02.96 निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलांट रेस्पोडेंट को हर्जाने स्वरूप कोस्ट की राशि रूपये 1000/- अक्षरे एक हजार अधीनस्थ न्यायालय में अदा कर दे तो अपीलांट को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर एवं तथाकथित बेचान पत्र जो रूपये 18/- के स्टाम्प पर है उसको एक्जीविट कराकर अपीलांट को साक्ष्य का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत होने वाली दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का पुनरावलोकन कर प्रकरण का पुन: नियमानुसार निस्तारण किया जावे।"

2. आर.ए.ए. के उक्त निर्णय के विरूद्व वादी रेस्पोडेंट ने द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल अजमेर (बोर्ड) ने निर्णय दिनांक 08.07.1999 द्वारा स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी अपीलांट ने इस रिट याचिका में बोर्ड के उक्त निर्णय को चुनौती दी है।

3. मैंने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना एवं अभिलेख का गहनता से परीक्षण किया।

4. निर्विवाद रूप से अधिनियम की धारा 225 की उपधारा 2 के अन्तर्गत आर.ए.ए. के निर्णय के विरूद्व द्वितीय अपील बोर्ड में पोषणीय नहीं थी। अधिनियम की धारा 225 के प्रावधान निम्न प्रकार है-

> "225. Appeals from orders- (1) An appeal shall lie from the final order passed on an application of the nature specified in the Third Schedule and from such other orders as mentioned in Section 212 of this Act and in Section 104 of the Code of Civil Procedure,1908 (Central Act, V of 1908)
>
> (i) to the Collector, if such order is passed by a Tehsildar.,
> (ii) to the revenue appellate authority if such order is passed by an Assistant Collector, a Sub-Divisional Officer or a Collector, and
> (iii) to the Board if such order is passed by a revenue appellate authority.
>
> (1A) The provisions of sub-section (1) shall apply to all suits, applications or proceedings pending on the date of the commencement of the Rajasthan Revenue Laws (Amendment) Ordinance,1975 (Ordinance No.13 of 1975).
> (1B) All pending appeals from orders other than those from which an appeal lies under sub-section (1) shall abate on the date of the commencement of the Rajasthan Revenue Laws (Amendments) Ordinance (Ordinance No.13 of 1975).
>
> (2) No appeal shall lie from any order passed in appeal under this section."

5. मैं इस निश्चित मत का हूं कि बोर्ड ने धारा 225 के आदेशात्मक प्रावधानों की अनदेखी की है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत बोर्ड के अवैधानिक आदेश के संबंध में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

6. परिणामत: रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.1999 निरस्त किया जाता है एवं आर.ए.ए. के निर्णय दिनांक 11.12.1996 की पुष्टि की जाती है। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश दिनांक 11.12.1996 की पालनार्थ आर.ए.ए.(राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा) के समक्ष दिनांक 11.12.2006 को उपस्थित होंगे। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

7. डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रतिलिपि अविलम्ब राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को प्रेषित करेंगे।

(न्या0 शिव कुमार शर्मा)